6. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 1950 ई० से राष्ट्रीय सेवायोजना (N.S.S.) और 1963 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई।

7. अनेक छात्र कल्याण योजनाएं चालू हुई। जैसे विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उचित मूल्यों पर मध्यान भोजन और अनेक छात्रावासों का निर्माण किया गया।

माध्यमिक शिक्षा आयोग [मुदालियर कमीशन] 1952-53 [Secondary Education Commission]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह आवश्यकता महसूस की गयी कि देश की माध्यमिक शिक्षा का अवश्य ही पुनः मूल्यांकन होना चाहिए। सन् 1948 ई० में केन्द्रिय सलाहकार बोर्ड ने अपनी चौथी बैठक में यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक आयोग की नियुक्ति की जाये, जो तत्कालिन माध्यमिक शिक्षा पद्धति की पूर्ण रूप से जांच करें और सुधार के सुझाव दें। उधर भारतीय सरकार भी यह महसूस कर रही थी कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार आ हो गया है, क्योंकि उस समय माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय थी। विद्यार्थियों के पास एक ही रास्ता था या तो विश्वविद्यालय का द्वार खटखटायेगा या नौकरी करेगा। ऐसी कोई व्यवस्था इस स्तर पर नहीं थी कि जिसके द्वारा इस स्तर पर विद्यार्थी की रुचि तथा क्षमता का विकास हो। इन सब बातो को विचार में रखकर भारतीय सरकार ने 23 Sept. 1952 ई० को एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर थे। अतः उनके नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी कहते है। इस आयोग के अन्य सदस्यों में डा० के० एल० श्रीमाली, श्री के० जी० सैयदैन, श्रीमती हंस मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट और श्री केमथ विलियम के नाम उल्लेखनीय है।

A Quality Product from Chitra

आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र :—

आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था — भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के सम्बन्ध में सुझाव देना।

आयोग का कार्य क्षेत्र :—

1. भारत के सभी प्रांतो के माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
2. भारत के सभी प्रांतो में माध्यमिक स्तर पर हाल अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।
3. भारत के सभी प्रांतो में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
4. भारत के सभी प्रांतो की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।

आयोग का प्रतिवेदन :— आयोग ने भारत के विभिन्न प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उनमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया।

(i) प्रश्नावली
(ii) साक्षात्कार

इन दोनों अध्ययनों के आधार पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके 29 Aug 1953 ई० को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 244 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 14 प्रकरणों के अंतर्गत प्रकाश डाला गया है।

आयोग का सुझाव :— आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सबसे पहले तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

A Quality Product from Chitra

1. सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अव्यावहारिक है।
1. इसका बच्चों के वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।
2. शिक्षण विधियां दोषपूर्ण हैं अतः उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
3. स्कूलों की समय-सारिणी भी ठीक नहीं है।
4. स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के उचित मान नहीं हैं।
5. इस स्तर की परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है।
6. स्कूलों में सहगामी पाठ्यचारी क्रियाओं की उचित व्यवस्था नहीं है।
7. स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है।

माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव :-

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये उन्हें चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

1. **प्रशासनिक ढांचा :—**

(i) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाये, जो समय-2 पर प्रान्तीय शिक्षा के व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव दे।

(ii) जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, उनमें इसका गठन किया जाये।

(iii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जायें।

2. **वित्त व्यवस्था :—**

(i) सरकार माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करें।

(ii) माध्यमिक स्कूलों में दिया जाने वाला दान कर से मुक्त होना चाहिए।

(iii) माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रांतीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

A Quality Product from Chitra